

20410/15

49



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



26793



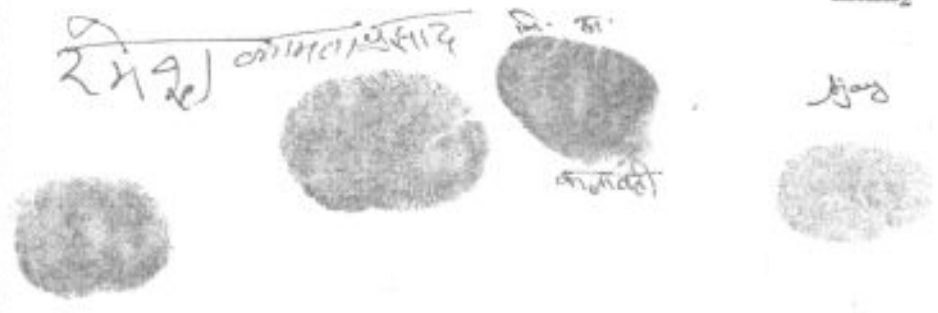
विक्रय मूल्य -रु0 12,00,000/-
 मालियत -रु0 2,75,000/-
 स्टाम्प -रु0 84,000/-
 परगना - मोहनलालगंज

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - मोहनलालगंज
3. मोहल्ला/ग्राम - मस्तेमऊ
4. सम्पत्ति का विवरण- आराजी खसरा संख्या-653 का मिनजुमला

—2

रमेश कामलाल खन्ना





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(2)

5. मापन की इकाई - हेक्टेयर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 0.055 हेक्टेयर
7. सड़क की स्थिति-(परिशिष्ट के अनुसार)
- सुल्तानपुर रोड से 200 मीटर से अधिक दूरी पर
8. अन्य विवरण (9 मीटर रोड/कानर इत्यादि)- नहीं
9. सम्पत्ति का प्रकार :- कृषि भूमि
10. पेड़ों का मूल्यांकन - X
11. बोरिंग/कुआं/अन्य - X
12. निर्माण का वर्ष - X
13. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है- नहीं
14. प्रतिफल की धनराशि 12,00,000/- रुपये

— 3

रैश नामित/प्रसादित है

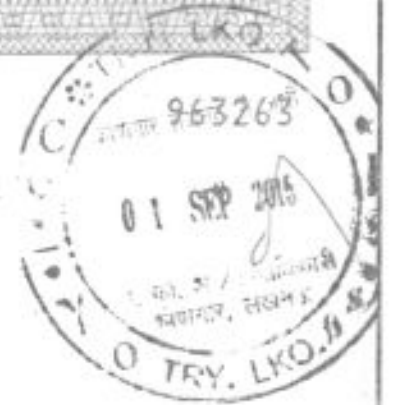


मि. जे. ए.

महाराष्ट्र



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(3)

चीहददी

- पूरब - भूमि खसरा संख्या-652
 पश्चिम - भूमि खसरा संख्या-654
 उत्तर - भूमि खसरा संख्या-651
 दक्षिण - भूमि खसरा संख्या-674

प्रथम पक्ष की संख्या (2)

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

विक्रेतागण का विवरण

(1) रमेश कुमार, (2) कामता प्रसाद पुत्रगण स्व० राम प्रसाद व (3) श्रीमती कलावती पत्नी स्व० राम प्रसाद, निवासीगण-ग्राम-मिर्जापुर, मजरा-मस्तौमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, उ०प्र०।

रमेश

कामता प्रसाद

कलावती

— 4

जाय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

क्रेता का विवरण

अजय कुमार स्व० जगदीश प्रसाद, निवासी-16ए/399, वन्दावन योजना-4, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ०प्र०।

यह विक्रय विलेख (1) रमेश कुमार, (2) कामता प्रसाद पुत्रगण स्व० राम प्रसाद व (3) श्रीमती कलावती पत्नी स्व० राम प्रसाद, निवासीगण-ग्राम-मिर्जापुर, मजरा-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, उ०प्र०, (जिन्हें आगे इस विलेख में विक्रेतागण कहा गया है) के द्वारा अजय कुमार स्व० जगदीश प्रसाद, निवासी-16ए/399, वन्दावन योजना-4, रायबरेली रोड, लखनऊ, उ०प्र०, (जिसे आगे इस विलेख में क्रेता कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

रमेश कामता प्रसाद

कलावती

—5

जि०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 609907

16 NOV 2010

(5)

जो कि विक्रेतागण भूमि खाता संख्या-00003, खसरा संख्या-653 कुल रकबा-0.1100 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.055 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-मस्तूमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, के मालिक कामिल व काबिज है, उक्त भूमि विक्रेतागण की पैतृक सम्पत्ति है, जो राजस्व अभिलेखों में विक्रेतागण के नाम संक्रमणीय भूमिधर सहस्वातेदार दर्ज है।

उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों, भारों, अजकिस्म, रेहन, बंधक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है, जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार विक्रेतागण को प्राप्त है। अब अपनी राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में

रमेश कामता प्रसाद

कहावी

—6

15/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 609906

11 GEN NOV 2002

(6)

उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बरी व पैमाइशी, को बकीमती मुबलिग रुपया-12,00,000/- (बारह लाख रुपया मात्र) जिसके आधे रुपया-6,00,000/- (छः लाख रुपया मात्र) होते हैं, में बदस्त क्रेता उपरोक्त के पक्ष में बय फरोख्त कतई किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय मूल्य क्रेता से वसूल पाकर कब्जा दखल मालिकाना विक्रेतागण ने अपने ही समान क्रेता उपरोक्त का बखूबी करा दिया। अब आज की तारीख के बाद से विक्रेतागण या उसके किसी वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में किसी प्रकार का बाकी नहीं रहा। अगर

28/11/02



कलावी

—7

28/11/02



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AS 609905
16 NOV 2015

(7)

कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के संबंध में क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बैनामें के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जावे या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत विक्रेतागण की करार न पाई जाए, या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल रुपया भय

2/1/21

नामिता-उस्ताद



क.स.वी.

—8

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

हर्जा व खर्चा व नुकसान सहित विक्रेतागण व उसके वारिसान व कायम मुकामान की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, विक्रेतागण को कोई मुकाम उज्र का न होगा। अब आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रीत भूमि को समस्त सरकारी अभिलेखों में जहाँ उचित समझे अपने नाम दर्ज करा लेवे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विक्रीत भूमि में कोई कुआँ या ट्यूबवेल या इमारत आदि नहीं है। विक्रीत भूमि किसी राष्ट्रीय मार्ग, राजकीय मार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है एवं विक्रीत भूमि

रि. २१ कामला प्रसाद - २१



कहसी

— 9 —

जग

की 0-200 मीटर परिधि में आबादी/आवासीय गतिविधियाँ नहीं है। विक्रीत भूमि पर कोई पेड़ आदि नहीं लगा है और उक्त भूमि कृषि भूमि है।

विक्रीत भूमि अर्द्धनगरीय क्षेत्र के ग्राम-मस्तेमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ में स्थित है। विक्रीत भूमि का कुल क्षेत्रफल-0.055 हेक्टेअर है, जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा सरकारी मूल्य रूपया 50,00,000/- प्रति हेक्टेअर की दर से निर्धारित है। अतः निर्धारित दर के अनुसार विक्रीत भूमि की कुल सरकारी मालियत मुबलिग रूपया-2,75,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है। अतः विक्रय मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-स.वि.क.नि.5-2756/ 11-2008- 500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से रूपया-84,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। क्रेता व विक्रेतागण के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा बय पंजीकृत नहीं किया गया है। उक्त विक्रीत भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। विक्रेतागण व क्रेता का स्थायी व अस्थायी पता उपरोक्तानुसार है। विक्रीत भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण का उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना में अधिग्रहीत नहीं की गई है और न ही प्रस्तावित है। विक्रीत भूमि मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

लिहाजा यह विक्रय विलेख समक्ष गवाहान उभय पक्षों ने खूब सोच समझ कर बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बदुरुस्त होशोहवास व स्वस्थ चित्त मन से अपने-अपने हस्ताक्षर

रमेश कुमार
मोहनलालगंज
लखनऊ

जि.प.

करके निष्पादित कर पंजीकृत करा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे। प्रस्तुत विक्रय विलेख विक्रेतागण एवं क्रेता के बताये गये तथ्यों एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विक्रेतागण एवं क्रेता की होगी। टाईपकर्ता एवं मसविदाकर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

विवरण भूमि बिक्रीशुदा

भूमि खाता संख्या-00003, खसरा संख्या- 653 कुल रकबा-0.1100 हेक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात् 0.055 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-मस्तोमऊ, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:-

- पूरब - भूमि खसरा संख्या- 52
- पश्चिम - भूमि खसरा संख्या-654
- उत्तर - भूमि खसरा संख्या-651
- दक्षिण - भूमि खसरा संख्या-674

तहसील वसुलयाबी जरसमन

1. रुपया-4,00,000/- जरिये चेक संख्या-722406 दिनांक 23.11.2015 अदाता आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा-शालीमार टॉवर, लखनऊ।
2. रुपया-4,00,000/- जरिये चेक संख्या-722407 दिनांक 23.11.2015 अदाता आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा-शालीमार टॉवर, लखनऊ।
3. रुपया-4,00,000/- जरिये चेक संख्या-722408 दिनांक 23.11.2015 अदाता आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा-शालीमार टॉवर, लखनऊ।

24/12/2015
जामना प्रसाद
करखरी

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रूपया 12,00,000/- (बारह लाख रूपया मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है। अब विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में विक्रेतागण को क्रेता से कुछ भी धनराशि पाना शेष नहीं रहा।

लखनऊ

दिनांक : 23.11.2015

हउ विक्रेतागण

प्रवा.श.
1. गवाह : ~~श्री~~ श्री 30/11/15 श्री सिद्धाचन
ग्राम - मिर्जापुर महरा महेमर
पता : किरा लखनऊ

रमेश



मजिदा प्रसाद

विश्वम्
2. गवाह : पवन हिवाटी एडवोकेट
कलेक्ट्रेट कोर्ट लखनऊ
पता :

हउ क्रेता



कलेक्ट्रेट

जि.श.



टाइपकर्ता

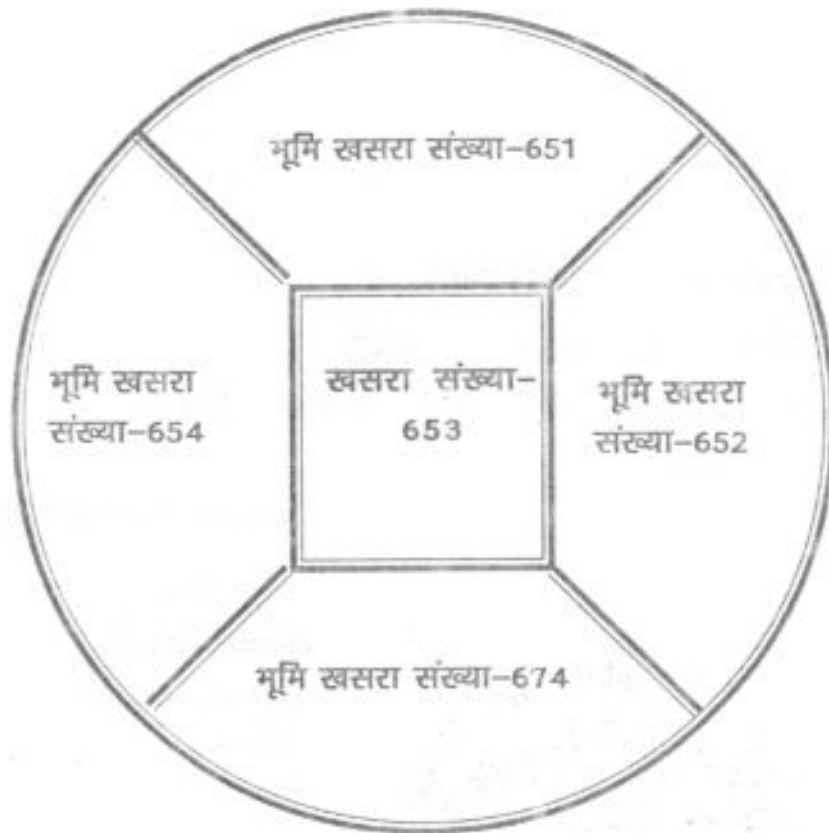
5070
(सोनू बालाजी)
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

मसविदाकर्ता

(मुकेश मणि त्रिपाठी)
एडवोकेट
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

0-200 मीटर की त्रिज्या में मानचित्र

भूमि खाता संख्या-00003, खसरा संख्या- 653 कुल रकबा-0.1100 हेक्टेयर
का 1/2 भाग अर्थात् 0.055 हेक्टेयर, स्थित-ग्राम-भस्तेमऊ, परगना व
तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ।



21/2/21
हस्ताक्षर विक्रेतागण
कलावही

21/2/21
हस्ताक्षर क्रेता

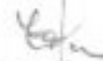
अज्ञ दिनांक 24/11/2015 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 6227

पृष्ठ सं. 285 से 308 पर कमांक 20410

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर



विजय लक्ष्मी यादव

उ.नि.मोहनलालगंज

लखनऊ

24/11/2015

